

विषय:— आवेदक मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लि०, कोलकाता द्वारा परियोजना इकाई होटल ताज सिटी सेंटर, पटना के निर्माण के संबंध में समर्पित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति 2023 एवं मार्गदर्शिका 2024 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना लागत 213,41,54,000/— (दो सौ तेरह करोड़ एकतालीस लाख चौवन हजार) रुपये मात्र के आधार पर द्वितीय चरण की (वित्तीय) स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई आधारभूत पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस नीति के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 निर्गत किया गया है। इस नीति को सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आलोक में स्वीकार्य तथा व्यवहारिक बनाने हेतु कतिपय प्रावधानों में यथा आवश्यक संशोधन भी किया गया है। बिहार पर्यटन नीति 2023 दिनांक— 27.12.2023 से पाँच वर्षों की अवधि तक के लिए प्रभावी है।

2. मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लि०, कोलकाता द्वारा एस.आई.पी.बी. पोर्टल के माध्यम से दिनांक— 30.04.2024 को बिहार पर्यटन नीति के तहत चार सितारा एवं उससे ऊपर की श्रेणी के होटल निर्माण के अंतर्गत पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन किया गया था। उद्योग विभाग के पत्रांक सं० -2071 दिनांक -28.06.2024 के द्वारा आवेदन को पर्यटन नीति 2023 के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु पर्यटन विभाग को प्रेषित किया गया था।

उक्त आवेदन पर दिनांक -27.06.2024 को निर्गत बिहार पर्यटन नीति मार्गदर्शिका 2024 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षोपरांत दिनांक— 02.07.2024 को सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद की बैठक में प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस स्वीकृति के आलोक में आवेदक को परियोजना लागत 213,41,54,000/— (दो सौ तेरह करोड़ एकतालीस लाख चौवन हजार) रुपये मात्र के आलोक में दिनांक— 05.07.2024 को आशय—पत्र निर्गत किया गया।

3. आवेदक द्वारा पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने के संबंध में द्वितीय चरण की (वित्तीय) स्वीकृति हेतु दिनांक - 19.12.2024 को आवेदन समर्पित किया गया। इस आवेदन में परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि दिनांक—17.07.2024 अंकित की गई थी। आवेदन के मूल्यांकन एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की



(क) द्वितीय चरण की (वित्तीय) स्वीकृति के उपरांत निर्धारित अनुदान का 50 प्रतिशत अर्थात 12,50,00,000/- (बारह करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र का भुगतान।

(ख) वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से 02 वर्षों के संचालन के उपरांत निर्धारित अनुदान का 25 प्रतिशत अर्थात 6,25,00,000/- (छः करोड़ पच्चीस लाख) रुपये मात्र का भुगतान।

(ग) वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से 05 वर्षों के संचालन के उपरांत निर्धारित अनुदान का 25 प्रतिशत अर्थात 6,25,00,000/- (छः करोड़ पच्चीस लाख) रुपये मात्र का भुगतान।

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक- 30.09.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०- 14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पर्य०वि०(नीति)-01/2024...../प०वि०, पटना दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पर्य०वि०(नीति)-01/2024..30.11../प०वि०, पटना दिनांक:-...07-10-2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर संबंधित सूचना को अपलोड करने के संबंध में प्रेषित।

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।